अति तत्काल
आर टी आई मामला

सं.14036/546/2013-यू टी पी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक : 30/08/2013

सेवा मे

श्री राजेश, पुत्र श्री रूप सिंह,
जिला कारागार, रोहिणी,
दिल्ली-110089

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपका दिनांक 11.6.2013 का आवेदन।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपका ऊपर उल्लिखित आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक 27.8.2013 को प्राप्त) का उल्लेख करने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध मे, यह सूचित किया जाता है कि आपका पत्र इस मंत्रालय के दिनांक 15.05.2013 के पत्र संख्या 14036/10/2013-यू टी पी के तहत पहले ही दिल्ली पुलिस को अग्रेषित किया जा चुका है और इसलिए, आपका आर टी आई आवेदन भी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस को उनकी ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अंतरित किया जा रहा है।

3. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री इकबाल सिंह चहल, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीया,

एस. सुधा

(एस. सुधा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं
अवर सचिव (डी पी-II)

प्रति प्रेषित :

1. पुलिस उपायुक्त, लोक सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली- आर टी आई आवेदन की एक प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न है कि अपेक्षित सूचना आवेदक को सीधे भेजी जाए। आवेदक ने अपेक्षित शुल्क इस मंत्रालय में जमा करा दिया है।

Issued with encl.
2157
5/9.